तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21.07.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 21.08.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
21.08.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/08/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06 / 2022	2022 / 012	18.01.2022	21.08.2023

1. किशनलाल पुत्र सुखाराम जाति रैगर उम्र 55 साल निवासी ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— प्रार्थी——

बनाम

1. सुमेरसिंह यादव, क्षैत्रीय वन अधिकारी, रैंज पावटा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान हाल वन विभाग कार्यालय स्थित तन ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——अप्रार्थीगण——

उपस्थित : – श्री अनिल कुमार यादव एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
श्री बजरंग लाल यादव एड0 अप्रार्थी संख्या–1 अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम)

——:: निर्णय ::——

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0100 है0 तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। प्रार्थी व उसके

दिलीप सिंह 21/08/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

परिजन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या–1 का कोई संबंध या सरोकार नही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिजनो की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी व उसके परिजन भूमि के खातेदार काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपनी भूमि के सींव डोल कदीमी कायम कर रखी है। प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि के सटाकर उत्तरी तरफ वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6 अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या–1 व उसके कारकुनिन्दें जोर जबरन बिना कोई विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल नष्ट करने एवं भूमि पर जोर जबरन अतिक्रमण करने एवं भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं वन विभाग की भूमि में अवैधानिक तरीके से खाई आदि खोदकर मिलाने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या –1 दिनांक 15.01.2021 को मौके पर अपने कारकुनिन्दों को साथ लेकर जे.सी.बी. मशीन लेकर आया और जोर जबरन प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण करते हुये जे. सी.बी. मशीन से खाई खुदवाने व भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हो गया जिस पर प्रार्थी व उसके परिजनों ने मौके पर जाकर मना किया तो प्रार्थी व उसके परिजनों को धमकी दी कि आपकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को वन विभाग की जमीन में मिलाकर [illegible] एवं विरोध करोगे तो तुम्हारे खिलाफ झूंठे राजकार्य के मुकदमे [illegible] करवा दूंगा। इस पर आस पास के मौजीज व्यक्ति आ गये तो अप्रार्थी संख्या–1 व उसके कारकुनिन्दे मौके पर जे.सी.बी. मशीन लेकर भाग गये परन्तु जाते समय धमकी देकर गये कि मौका पाकर प्रार्थी व उसके परिजनों को उनकी खातेदारी व कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्त की भूमि से बेदखल करके रहेगे एवं भूमि को खुर्द बुर्द करवाकर रहेगें एवं भूमि को वन विभाग की भूमि मे मिलाकर खाई आदि खुदवाकर रहेंगे। इसलिए माननीय अदालत मे बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0100 है0 अवस्थित ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की सींव डोल नष्ट नही करें, ना ही जबरन अतिक्रमण करे, ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करे, ना ही अपने कारकुनिन्दों से कराये के संबंध में अप्रार्थीगण को ता दौराने सुनवाई दावा तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबंद करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 02 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आयें एंव आगामी पेशी पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 पेश की। अप्रार्थी संख्या 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस में लिया गया। जिस पर वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थी ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय उभय पक्ष... सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष... सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित कथनों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि की खातेदारी प्रार्थी व उसके परिजन के नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। जिस पर प्रार्थी व उसके परिजन भूमि के खातेदार काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णत: काबिज काश्त कर आ रहे है एव अपनी भूमि के सींव डोल कदीमी कायम कर रखी है। प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी एव कब्जा काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि के सटाकर उत्तरी तरफ वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6 स्थित है। अप्रार्थी संख्या-1 व उसके कारकुनिन्दे जोर जबरन बिना कोई विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल नष्ट करने एव भूमि पर जोर जबरन अतिक्रमण करने एवं भूमि को खुर्द-बुर्द करने एवं वन विभाग की भूमि में अवैधानिक तरीके से खाई आदि खोदकर मिलाने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0100 है0 तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार करते हुए प्रार्थी के अस्थायी प्रार्थना पत्र में [illegible] भूमि खसरा नम्बर 6 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड है परन्तु अन्य सह खातेदारान की ओर से कोई दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही उनको दावा व प्रार्थना पत्र हाजा में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी व उसके परिजन उक्त वाद व प्रार्थना पत्र की आड़ में वन विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/08/[illegible]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण करना चाहते है। वन विभाग के कर्मचारी वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6 की सुरक्षार्थ वन विभाग की भूमि की सीमा पर नियमानुसार पीलर्स व तारबंदी आदि लगाने तथा वन विभाग की भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु सुरक्षा करने बाबत अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार होने व प्रार्थी द्वारा उसको रूकवाने का कोई अधिकार नही होने से प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, ना ही प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन ही है, ना ही किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना है बल्कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में पूर्णत साबित है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होकर खारिज होने योग्य है। वन विभाग की खातेदारी भूमि की सुरक्षा करने व वन विभाग की भूमि की सीमा पर नियमानुसार पीलर व तारबंदी आदि करने का अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार है जिसको रूकवाने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया। हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस पर सगौर मनन किया। जिसमें राजस्व रिकार्ड ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर की जमाबन्दी वर्तमान खतोनी खाता संख्या 216 जिसमे दर्ज भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0100 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के परिजन के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि के उत्तरी तरफ भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 3.500 हैक्टर किस्म चरागाह दर्ज होकर खातेदारी वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। जिसमें अप्रार्थी वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के लगती हुई वन विभाग की भूमि के चारो ओर बिना सीमाज्ञान करवाये व बिना पत्थरगढी करवाये अवैधानिक रूप से खाई आदि खोदकर उक्त भूमियों को आपस में मिलाये जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

...दा होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थी की खातेदारी भूमि में मदाखलत होना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी शुदा भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रमुख तीन बिन्दु क्रमशः

1. प्रथम दृष्टवा मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. <u>प्रथम दृष्टवा मामला</u> :– चूंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0100 हैक्टर तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर सीकर प्रार्थी के खातेदारी में 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। खातेदारीशुदा भूमि दर्ज होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टवा मामला बनना प्रकट है। उक्तानुसार उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u> :– चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थी के पक्ष में तय हो चुका है। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि प्रार्थी की खातेदारीशुदा भूमि है। जिस बाबत् यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावेगी तो प्रार्थी को असुविधा होगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना साबित होता है।

3. <u>अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त</u> :– साथ ही प्रथम दृष्टवा मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया गया है तो ऐसी स्थिति मे यदि उक्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारीशुदा भूमि बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपरोक्तानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होना पाया जाता है।

आदेश

अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थीगण को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एव ना ही दीगर से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/08/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर [illegible]
[illegible]

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/08/23

[illegible]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)